INDIA NON JUDICIAL

IN-UP61459181040749W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

725

NEERAJ
Lic. No.-590, Acc. Id-UP 16003704
Chamber No.-72, Tehsil Compound
Gandhi Nagar, Ghaziabad

Certificate No.	:	IN-UP61459181040749W
Certificate Issued Date	:	28-Aug-2024 01:05 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up16003704/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP16003704191714798888 59W
Purchased by	:	ANIMAL NATURE TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ANIMAL NATURE TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ANIMAL NATURE TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

ROHIT KUMAR
Document Writer
Licence No.- 117/2
Chamber No. 75, Tehsil
Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 85

Verified By
...stration Clerk
Ghaziabad
Locked By
Sub Registrar-I,
Ghaziabad

IN-UP61459181040749W

Please write or type below this line

Rinku Kumari

RD 0026403285

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(Trust Deed)

कुल स्टाम्प– 750/– रूपये अदा किया गया है।

यह ट्रस्ट विलेख आज दिन–**बुधवार** दिनांक **28.08.2024** को तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो रहा है।

सर्वसहमति से **पशु प्रेमी** होने के नाते यह विचार किया गया कि ऐसी **ट्रस्ट** बनायी जाये, जो **आवारा, बेसहारा, बेघर एवं लावारिस** पशुओं की सेवा कर सके। इसलिये हम सब मिलकर एक **पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट** का निर्माण/स्थापना कर रहे है।

1. **ट्रस्ट का नाम:–** Animal Nature Trust
2. **ट्रस्ट का पंजीकृत पता:–** E-85A **गोविन्दपुरम गाजियाबाद।**
3. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र:–** सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. **ट्रस्ट की** Email ID- animalnaturetrust@gmail.com

ROHIT KUMAR
Document Writer
Licence No.
Chamber No. 75,
Compound, Ghaz
Mob. No.

Rinku Kumar

Rinku Kumar

आवेदन सं०: 202400739079437

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 725	वर्ष: 2024

प्रतिफल- 2100 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री एनिमल नेचर ट्रस्ट द्वारा
रिंकू कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री दीनदयाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 159, माता कॉलोनी, सेक्टर 12, गाजियाबाद

श्री, एनिमल नेचर ट्रस्ट द्वारा Rinku Kumar रिंकू कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 28/08/2024 एवं 01:50:33 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शुभम कुमार प्रभारी
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
गाजियाबाद
28/08/2024

निबंधक लिपिक
28/08/2024

प्रिंट करें

4. ट्रस्ट के उद्देश्य (Objectives of Trust) :–

1.	लावारिस, बेसहारा पशु–पक्षियों की सेवा करना एंव उनके अधिकार व कल्याण के लिये कार्य करना।
2.	आवारा, लावारिस, बेसहारा, पशुओं के चोट लगने व घाव होने पर सड़को/गली/मौहल्लो व क्षेत्रों मे जाकर उनका प्राथमिक उपचार (first aid) करना।
3.	बीमार लावारिस, बेसहारा व आवारा पशुओं/जानवरो के स्वस्थ होने तक उन्हें (Animal Recovery Center) में रखना वहा उनके खाने, पीने व रहने के लिये आवास की व्यवस्था करना व चिकित्सक/डॉक्टर से उनका उपचार कराना।
4.	लावारिस पशुओं के एक्सीडेन्ट होने या किसी व्यक्ति द्वारा हमला करने या अन्य किसी दुर्दघटना के कारण ऐसे पशु जो भविष्य में कभी चल–फिर नही सकते उनके लिये सेल्टरो/आश्रय गृहो की व्यवस्था करना व उन्हे सेल्टरो में रखना।
5.	ट्रस्ट केवल अपनी क्षमता और अनुभव के आधार पर ही लावारिस पशुओं के लिये कार्य करेगी।

☞ उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में किसी का कोई निजी लाभ निहित नहीं है और ट्रस्ट द्वारा दान की जाने वाली सभी धनराशि व वस्तुयें एवं सेवायें पूर्ण रूप से पशुओं के कल्याण के लिये प्रयोग की जायेगी तथा उपरोक्त ट्रस्ट से प्राप्त होने वाला किसी भी प्रकार का लाभ ट्रस्ट के किसी भी ट्रस्टी या सदस्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नही दिया जायेगा बल्कि समस्त लाभ, वस्तुओं, सेवाओं एवं धनराशिओं का प्रयोग पशुओं के कल्याण व उनके उत्थान के लिये प्रयोग किया जायेगा।

Rinku kuman

आवेदन सं०: 202400739079437

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 725 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री एनिमल नेचर ट्रस्ट के द्वारा रिंकू कुमार, पुत्र श्री दीनदयाल सिंह

निवासी: 159, माता कॉलोनी, सेक्टर 12, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री आदित्य भारद्वाज, पुत्र श्री विजय भारद्वाज

निवासी: प्लाट नं0-45, साई एन्कलेव, चिपियाना बुजुर्ग, गौतमबुद्ध नगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री राजा जैसवाल, पुत्र श्री संजय जैसवाल

निवासी: म0नं0-89, सिहानी चुंगी, गली नं0-9, विद्या विहार, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

शुभम कुमार प्रभारी
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद
28/08/2024

निबंधक लिपिक गाजियाबाद
28/08/2024

प्रिंट करें

5. ट्रस्ट कोषः—ट्रस्टीयों द्वारा रू0—2100/—(दो हजार एक सौ रूपये) देकर इस ट्रस्ट को चालू किया गया है। यह राशि ट्रस्ट के कोष के रूप में स्थायी रहेगी। इस कोष की वृद्धि के लिये इस ट्रस्ट के संस्थापकों अथवा अन्य लोगों से, चाहे वह व्यक्तिगत, संयुक्त परिवार, कंपनी, भागीदारी, ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सनल अथवा अन्य किसी प्रकार के संगठनो से ट्रस्टीयों को भेंट (चंदा) अनुदान आदि लेने का अधिकार होगा, और इस प्रकार प्राप्त रकम कोष अथवा आय दानदाता की इच्छानुसार मानी जायेगी। ट्रस्ट समय—समय पर आयोजित चैरिटी आयोजनों द्वारा धन प्राप्त कर सकेगी, ट्रस्ट ऑनलाइन इन्टरनेट के माध्यम से भी धन एकत्र कर सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लिया जा सकेगा।

6. ट्रस्ट के ट्रस्टी वर्तमान में इसके निम्न ट्रस्टी हैं:—

कम संख्या	नाम पिता/पत्नि का नाम व पता	आयु	व्यवसाय	पद
1.	रिकूं कुमार S/o श्री दीनदयाल सिंह पता—159, माता कॉलोनी, सै0—12, गाजियाबाद—201001 पैन नं0—CTNPK2269R आधार नं0—4739 5155 4680	29 वर्ष	पशु सेवा	संरक्षक, सैटलर, अध्यक्ष व ट्रस्टी
2.	अदिती भारद्वाज D/o विजय भारद्वाज पता—प्लाट नं0—45, साई एन्कलेव, चिपियाना बुजुर्ग, छिप्याना, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201009 पैन नं0—HXQPB0606H आधार नं0—7169 2962 8016	18 वर्ष	पशु सेवा	सचिव, ट्रस्टी

आवश्यकतानुसार ट्रस्टीयों की संख्या बढ़ायी जा सकती है, बशर्ते ट्रस्टी संस्था की नीति एवं उद्देश्यों से सहमत हो, एवं उन्होंने जीवन में किसी भी रूप में **पशु सेवा** के क्षेत्र में कार्य किये हों।

Rinku kumar

7. ट्रस्ट का पूर्ण संचालन, कार्य प्रमाणी व अधिकारः–इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को ट्रस्टीयों द्वारा अधिकाधिक युक्तसंगत व उचित तरीकों से पूरा किया जायेगा। ट्रस्ट के कार्य का सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंध हेतु एक **प्रबंध कार्यकारिंणी समिति समिति (Management Executive Committee)** का गठन, चयन/मनोनयन के द्वारा प्रति एक वर्ष के बाद ट्रस्टीयों की **साधारण सभा (General Meating)** में किया जायेगा। प्रबंध कार्यकारिंणी समिति में निम्न पद होंगे, जिन पर ट्रस्टी रहेंगेः–

1. संरक्षक
2. अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष
4. सचिव
5. कोषाध्यक्ष
6. सदस्य
7. साधारण सदस्य

इस प्रकार प्रबंध कार्यकारिंणी समिति की सदस्य संख्या 5 होगी। इस ट्रस्ट का समस्त कार्यभार प्रबंध कार्यकारिंणी समिति पर ही होगा। प्रबंध कार्यकारिंणी समिति का कार्य, ट्रस्ट का प्रशासन एवं संचालन करना एवं प्रशासन व संचालन इस संलेख में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति के लिये होगा। प्रबंध कार्यकारिंणी समिति को ट्रस्ट का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये साधारण रूप से वे सभी कार्य करने का अधिकार होगा, जिसके लिये ट्रस्ट मंडल एवं ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत प्रबंध प्रट्रस्टी को करने का सामान्यन्तः अधिकार होता है। आवश्यकतानुसार ट्रस्ट किसी भी बैंक अथवा बैंको में अपना खाता ट्रस्ट के नाम से खोल सकेगा। बैंक खाते का संचालन करने का अधिकार ट्रस्ट मंडल द्वारा मनोनित ट्रस्टीयों का होगा, जिसकी संख्या दो या तीन होगी। आहरण पत्र पर कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिये। प्रबंध कार्यकारिणी समिति के ट्रस्टीयों की बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित की जायेगी। ट्रस्ट के कार्य संचालन के नियम एवं उपनियम बनाने का अधिकार प्रबंध कार्यकारिंणी समिति को होगा। प्रबंध कार्यकारिंणी समिति की बैठक में कोरम कम से कम 3 का होगा।

Rinku Kumar

8. ट्रस्टीः—ट्रस्ट का ट्रस्टी होने के लिये कोई भी वयस्क व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, एवं ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो, पागल/दिवालिया न हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि रखता हो और जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो वह रूपये 1000/– ट्रस्ट में जमा कराकर ट्रस्टी बन सकेगा। प्रबंध कार्यकारिंणी समिति नया ट्रस्टी बनाने या ना बनाने संबंधी निर्णय देगी, यह प्रबंध कार्यकारिंणी समिति का अन्तिम निर्णय होगा।

9. ट्रस्टी का निष्कासनः—ट्रस्ट के ट्रस्टी का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा—

1. **मृत्यु हो जाने पर।**
2. **पागल/दिवालिया घोषित हो जाने पर।**
3. **त्याग—पत्र देने पर।**
4. **ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।**
5. **प्रबंध कार्यकारिंणी समिति द्वारा दोषी पाये जाने पर।**

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 7 दिन में लिखित में अध्यक्ष को आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जायेगी, तथा साधारण सभा का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

10. साधारण सभाः—साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे—

1. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति का निर्वाचन/चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. वार्षिक लेखों का अनुमोदन करना।
4. अंकेक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना।
5. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
6. ट्रस्ट के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संसोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन करना।

Rinku Kumar

11. साधारण सभा की बैंठकें–

1. साधारण सभा की वर्ष में 1 बार बैठकें अनिवार्य रूप से होंगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में
   साधारण सभा की विशेष बैठक 3 दिन पूर्व सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व व विशेष बैठक 1 दिन पूर्व की जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 ट्रस्टीयों के लिखित निवेदन करने पर सचिव द्वारा बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त ट्रस्टीयों में से कोई भी 1/3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे, तथा हर प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक होंगे, बशर्तें की ऐसी विशेष बैठक में कोरम पूरा हो।

12. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति का गठनः–ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये व उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रतिवर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा प्रबंध कार्यकारिंणी समिति का निर्वाचन/चुनाव किया जा सकेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे–

1. **संरक्षक**
2. **अध्यक्ष**
3. **उपाध्यक्ष**
4. **सचिव**
5. **कोषाध्यक्ष**
6. **सदस्य**
7. **साधारण सदस्य**

Rinku Kumari

2. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः—संस्था की प्रबंध कार्यकारिंणी समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे—

1. वार्षिक बजट तैयार करना।
6. संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना।
7. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नाजायज कब्जा नही करेगा। अगर ऐसा करेगा तो वह
   निष्प्रभावी होगा और अगर कोई व्यक्ति नशा आदि गलत आचरण करता हुआ पाया गया तो उसे उचित कार्यवाही कर बेदखल किया जायेगा।
8. वैतानिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करना।
9. संस्था के वार्षिक लेखे तैयार करना, व उन्हें नियमानुसार अंकेक्षण करना।
10. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों का कियान्वयन करना।
11. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
12. अन्य कार्य जो ट्रस्ट के हितार्थ हों, करना।
13. ट्रस्टी के निर्देशानुसार की कार्य करना।

3. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति की बैठकें:—

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर विशेष बैठक सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक कोरम प्रबंध कार्यकारिंणी समिति के 2 सदस्यों के होने पर होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी, तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व दी जा सकेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान पर समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित ट्रस्टीयों के अतिरिक्त प्रबंध कार्यकारिंणी समिति के कम से कम एक पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी साधारण सभा में करना आवश्यक होगा।

Rinku Kumar

4. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति के अधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यः—संस्था की प्रबंध कार्यकारिंणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे—

1. अध्यक्ष (President/Settlor) :-

1. बैठकें आहूत करना।
2. बैंठक की अध्यक्षता करना।
3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
4. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
5. मत बराबर होने पर निर्णायक मत देना।
6. बैठकों की कार्यवाही लिखना।
7. पत्र—व्यवहार करना।
8. संपत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य, जो आवश्यक हों, करना।
9. ट्रस्ट के विरूद्ध अथवा ट्रस्ट के हित के लिये सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों में भाग लेना, दावा, जवाब—दावा, जवाबुल—जवाब, शपथ—पत्र, इजराय, प्रार्थना पत्रों, वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना।
10. ट्रस्ट सम्पत्ति के विकास, निर्माण के लिये महकमा से अनुमति प्राप्त करना, नोटिस देना, जवाब देना, तथा सभी कार्यवाहियां करना।
11. संस्था का प्रतिनिधित्व करना, व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
12. संस्था के उद्देश्यो को पूरा करने वाले सभी कार्यों में सकिय रूप से भाग लेना व योगदान देना।

2. सचिव (Secreatary) :-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. संस्था उन्नति व प्रगति के लिये सलाह/परामर्श देना व योजना बनाना।
3. संस्था में जागरूकता फैलाने वाले कार्यकमों व आयोजनो (Event) की रूप रेखा तैयार करना।
4. अन्य किसी न्यासी की अनुपस्थिति में व पद रिक्त होने की स्थिति में उनके सभी अधिकारो का
5. प्रयोग करना।

Rinku Kumar

3. कोषाध्यक्ष (Treasurer) :–

1 वार्षिक लेखों–जोखों को तैयार करना,

2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण,

3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना,

4. वार्षिक लेखों का अंकेक्षण करवाना,

5. वार्षिक बजट तैयार करना,

6. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना,

7. आय–व्यय पर नियंत्रण रखना व बिल पास करना।

8. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना व उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

4. उपाध्यक्ष (Vise President) :–

1. प्रबंध कार्यकारिंणी समिति/अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

5. ट्रस्ट का अंकेक्षणः–ट्रस्ट के समस्त लेखा–जोखों का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट द्वारा कराया जायेगा, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

6. ट्रस्ट के विधान में परिवर्तनः–ट्रस्ट के विधान में आवश्यकता के अनुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तत अथवा संशोधन किया जा सकेगा।

7. अपरिवर्तनीय ट्रस्टः–ट्रस्ट व ट्रस्ट की अनुसूचियां, जिन्हे इसके द्वारा ट्रस्ट में शामिल किया है, ट्रस्टीयों/ट्रस्टीयों व अन्य किसी भी सदस्यों द्वारा भंग/समाप्त/रद्द नही किया जा सकता सिवाय इसके की ट्रिब्यूनल अपने पूर्ण विवेक से ट्रस्ट को समाप्त करने का निर्देश दे सकता है, और ऐसी क्रमिक व्यवस्था का आदेश दे जो उचित हो।

Rinku Kumar

9. ट्रस्ट की सम्पत्तिः– इस विलेख में उल्लिखित ट्रस्ट फंड (Trust Fund) को छोडकर ट्रस्ट के पास कोई चल या अचल सम्पत्ति नही है यह कि ट्रस्ट का कार्यालय भी ट्रस्ट की निजि सम्पत्ति नही है, तथा किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नही किया जा रहा है।

8. ट्रस्ट का भंग होनाः–यदि यह ट्रस्ट कभी भंग होती है, तो उसके लेन–देन निपटाने के बाद अगर कुछ संपत्ति बचे, तो इस संपत्ति को अन्य सार्वजनिक ट्रस्ट में से किसी भी एक या सबको दी जायेगी, परन्तु किसी भी परिस्थति में यह बची हुई सम्पत्ति वापस ट्रस्ट के उद्घोषक अथवा ट्रस्टीयों को नही दी जायेगी। यानि विघटन के समय देनदारी की सभी सम्पत्ति समान उद्देश्य वाले अन्य संस्थानों को हस्तान्तरित कर दी जाएगी।

10. ट्रस्ट की सम्पत्तियों का निवेशः–ट्रस्ट/ट्रस्ट की सम्पत्ति का निवेश आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

11. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.):–ट्रस्ट कम्पनी अधिनियम की धारा 135 के तहत कवर किए गये किसी भी सीएसआर (CSR) फंड को लागू कर सकता है।

12. ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन मूल्यः– इस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु इसकी कीमत रू0 2100/–आंकी जाती है।

अतः उपरोक्त ट्रस्ट की घोषणा को हमने आज दिनांक–28.08.2024 को अपनी स्वेच्छा एवं स्थिर चित्त की हालत में अपनी स्थिर बुद्धि एवं पूर्ण होश–हवास एवं दुरूस्ती की हालत में तहरीर को तकमील कर दिया है, जो सही है, व इस घोषणा–पत्र को अपने हस्ताक्षरों द्वारा संपादित करते है।

Rinku Kumar

हस्ताक्षर

Animal Nature Trust का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

(1.) गवाह

हस्ताक्षर

आदित्य भारद्वाज पुत्र श्री विजय भारद्वाज
निवासी–प्लाट नं0–45, साई एन्कलेव,
चिपियाना बुजुर्ग, गौतमबुद्धनगर

(2.) गवाह

हस्ताक्षर

राजा जैसवाल पुत्र श्री संजय जैसवाल
निवासी–म0नं0–89, सिहानी चुँगी
गली नं0–9, विद्या विहार, गाजियाबाद

दिनांक **28.08.2024ई0** मसौदा **रोहित कुमार (बैनामा लेखक)**, चैम्बर नम्बर–**75** तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।

ROHIT KUMAR
Document Writer
Licence No.- 117/22
Chamber No. 75, Tehsil
Compound, Ghaziabad
Mob. No.-

आवेदन सं०: 202400739079437

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 2680 के पृष्ठ 105 से 134 तक क्रमांक 725 पर दिनाँक 28/08/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शुभम कुमार प्रभारी
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद
28/08/2024